अनुवाद

मुख्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110002

ई-मेल: hq @esic.in, वेबसाइट: www.esic.nic.in

संख्या: डी–12/16/1/2012–स्था.॥ दिनांक: 29.04.2014

सेवा में,

बीमा आयुक्त(राजस्व/भर्ती)/सू.सं.प्रौ./रा.प्र.अकादमी
सभी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी निदेशक
निदेशक(चि.)दिल्ली/निदेशक(चि.)नोएडा/वरि.रा.चि.आयुक्त/क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पतालों/
व्यवसाय जनित रोग केंद्रों के चिकित्सा अधीक्षक ।
संयुक्त निदेशक–5, मुख्यालय । WCM for website.

विषय: क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना–कठिनाइयों का निवारण ।

संदर्भ: मुख्यालय के समसंख्यक स्पष्टीकरण दिनांक 13.01.06, 07.06.06, 15.12.06, 01.03.07, 07.01.08, 27.06.08, 05.08.08, 25.03.09, 01.07.09, 07.01.10, 26.08.10, 01.11.10, 24.05.11, 11.10.12 तथा 11.04.14

महोदय/महोदया,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.09.2013 को जारी किए गए परिपत्र द्वारा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत व्याप्त पेंशनभोगियों को नामांकन सुविधा उपलब्ध कराने के अनुसरण में उक्त सुविधा को क.रा.बी.निगम–पेंशनभोगी चिकित्सा योजना–06 के अंतर्गत व्याप्त पेंशनभोगियों तक विस्तारित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित किया जाता है । इससे पेंशनभोगियों की मृत्यु की स्थिति में उनके नामिति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेंगे जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :–

1. यह नामांकन सुविधा केवल क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी कार्ड धारकों को उपलब्ध होगी ।
2. जो पेंशनभोगी इस विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, वे हर प्रकार से पूर्ण और विधिवत् भरे हुए निर्धारित 'नामांकन प्रपत्र' में अपने विकल्प की घोषणा कार्ड जारीकर्ता प्रधिकारी को प्रस्तुत करेंगे (नामांकन प्रपत्र का प्रोफार्मा संलग्न) ।
3. उक्त विकल्प का प्रयोग करते हुए क.रा.बी.निगम पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नामांकन के विवरण का रिकार्ड रखने के लिए कार्ड जारीकर्ता प्राधिकारी अलग से एक रजिस्टर–'नामांकन रजिस्टर' बनाएंगे ।
4. केवल एक व्यक्ति को मूल नामिति या प्रथम नामिति के रूप में नामित किए जाने की अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त, अन्य व्यक्ति को भी वैकल्पिक नामिति या द्वितीय नामिति के रूप में नामित किया जा सकता है जो कि प्रथम नामिति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है ।
5. क.रा.बी.निगम–पेंशनभोगी चिकित्सा योजना मुख्य कार्ड धारक उससे संबंधित अथवा असंबंधित किसी नैसर्गिक या वैधिक व्यक्ति को इस प्रयोजन हेतु अपने/अपनी नामिति के रूप में नामित कर सकता/सकती है ।
6. लाभार्थी के जीवनकाल के दौरान किसी भी समय इस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है । तथापि पेंशनभोगी कार्ड धारक के जीवनकाल में केवल दो बार इस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है ।
7. यदि क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी लाभार्थी के जीवनकाल के दौरान इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु मौजूदा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के उपबंध लागू रहेंगे । इसके अंतर्गत दावाकर्ता द्वारा शपथपत्र तथा अन्य कानूनी वारिसों से अनापत्ति प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण अपेक्षित होगा ।

यह कार्यालय ज्ञापन इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

इस पत्र की अंतर्वस्तु को आपके क्षेत्र के पेंशनभोगी संघ तथा सभी पेंशनभोगियों के संज्ञान में व्यक्तिगत रूप से लाया जाए ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीया,
(हस्ताक्षर)
(मीनाक्षी नंदा)
उप निदेशक

BDM\e-\E.1\kruti 2011.

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबन्धन
Website Contents Management
डायरी सं./Diary No. 360
दिनांक/Date 08/05/2014

क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी चिकित्सा योजना, 2006

नामांकन प्रपत्र

(जब पेंशनभोगी क.रा.बी.निगम लाभार्थी उसकी मृत्यु की स्थिति में क.रा.बी.निगम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे हेतु किसी व्यक्ति को नामित करने का इच्छुक हो ।)

मैं..एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरी मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति(यों) की राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो कि मेरी मृत्यु के समय अप्रदत्त रहने पर क.रा.बी.निगम के अंतर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य हो गई है ।

मूल नामिति		वैकल्पिक नामिति
क.रा.बी.निगम लाभार्थी द्वारा नामित व्यक्ति का नाम और पता	संबंध, यदि क.रा.बी. निगम लाभार्थी के साथ कोई हो	उस व्यक्ति का नाम और पता यदि कोई हो, जिसे, क.रा.बी.निगम लाभार्थी से पहले उसके नामिति की मृत्यु अथवा क.रा.बी.निगम लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात परंतु क.रा.बी.निगम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने से पूर्व मरने वाले नामिति के मामले में नामिति को दिया गया अधिकार मिल जाएगा ।

वर्ष 20..........के ....के.............................दिन को..(स्थान) में

(लाभार्थी के हस्ताक्षर)

नामः
पताः

क.रा.बी.निगम कार्ड संख्याः
दूरभाष संख्याः

साक्षीः

1.
साक्षी के हस्ताक्षर
नामः
पताः

2.
साक्षी के हस्ताक्षर
नामः
पताः

कार्यालयीन प्रयोग हेतु

नामांकन विवरण प्राप्त किए गए तथा नामांकन रजिस्टर में क्रम संख्या.. दिनांक ....पर उनकी प्रविष्टि की गई ।

दिनांकः.......................................

कार्ड जारीकर्ता प्राधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

1.	महासचिव, अखिल भारतीय क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी महासंघ, ई–15, सेक्टर–20, **नोएडा–201301(उ.प्र.)**
2.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ, 12–11–1609, अंबर नगर, आदिकमेट **हैदराबाद–500044**
3.	क.रा.बी.निगम एल्डर्स(पेंशनभोगी), (बिहार क्षेत्र), क.रा.बी.निगम कॉलोनी, अंबेडकरपथ, **पटना–800014**
4.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(कर्नाटक), 13/1 VI मुख्य मार्ग, पैलेस गुट्टहल्ली, **बेंगलुरू–560003**
5.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(केरल), कमरा संख्या 38, द्वितीय तल, अराफा टावर, वेलियन्नूर, **तृश्शूर–680021(केरल)**
6.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी कल्याण संघ, ए/5–303,, शिवछाया सहकारी आवास सोसायटी लि., **अंधेरी(प.) मुंबई–400038**
7.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(म.प्र. इंदौर), 137, टेलीफोन नगर, कनाडिया मार्ग, **इंदौर–452018**
8.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(नागपुर), 'गणेश भवन' , मकान संख्या 412, हनुमान मंदिर के पास, धर्मपेठ, **नागपुर–440010**
9.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(रा.रा.क्षेत्र), 18ए नवसेना अपार्टमेंट्स, वेस्ट इंक्लेव, पीतमपुरा, **दिल्ली–110034**
10.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ, 1235 फेज–10, एस ए एस नगर, **मोहाली**
11.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी कल्याण संघ,(राजस्थान क्षेत्र), प्लाट सख्या 3, पुराने दूरभाष केंद्र के पास, दुर्गापुर, **जयपुर–302018**
12.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी कल्याण संघ,(राजस्थान इकाई), नारायण टावर्स, फ्लैट संख्या 1, सी–123, मंगल मार्ग, बापू नगर, **जयपुर–302015**
13.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(तमिलनाडु क्षेत्र), संख्या 5, 12वां मुख्य मार्ग, विजय नगर, वेलचेरी, **चेन्नै–600042**
14.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(उ.प्र. क्षेत्र, कानपुर), 2–ए/57, आजाद नगर, **कानपुर–208002**
15.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(पश्चिम बंगाल), मार्फत श्री एन.सी.दास, ई–9, रामगढ़, **कोलकाता–700047**
16.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(गुजरात क्षेत्र.), 31, किल्लोल सोसायटी, राजेंद्र पार्क मार्ग, ओढ़व **अहमदाबाद–382415**
17.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(हरियाणा इकाई), मकान संख्या 1024, सेक्टर–46, **फरीदाबाद–121001**
18.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी फोरम, फ्लैट संख्या 10,27/2, पार्वती ए–1, सहकारी आवास सोसायटी, आई डी बी आई बैंक के पीछे, एरंड्वाने, **पुणे–411004**
19.	क.रा.बी.निगम पेंशनभोगी संघ,(ओडिशा), पंचदीप भवन, इकाई–IX जनपथ, **भुवनेश्वर–751022**
20.	वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे वेबसाइट में डालने हेतु
21.	लेखा शाखा–3/संयुक्त निदेशक–5, मुख्यालय
22.	गार्ड फाइल

BDM\e-\E.1\kruti 2011.